# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

**पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)**

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 07/2024

**उनवान**

मुरली पिता श्री बालचन्द जाति बैरागी आयु 52 साल पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम बड़ोदिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

............. प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़।

...........विपक्षी

**निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित – यशवन्तराय श्रीवास्तव अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

**निर्णय** दिनांक 16.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम बडोदिया तहसील रावतभाटा में संवत 2076–79 के अनुसार खाता संख्या 303 खसरा संख्या 90 रकबा 1.11है0 किस्म बारानी–1 लगानी 1.11 रू तथा ग्राम बडोदिया में ही खाता संख्या 15 में खसरा संख्या 326 रकबा 0.27है0 व खसरा संख्या 602 रकबा 0.70है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.97है0 दोनो खाते संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता श्री बालचन्द पुत्र शंकरदास का 1/7, 1/7 अनुसार हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जिसमें मुझ प्रार्थी के पिता का नाम बालकिशन पुत्र शंकरदास अंकित किया हुआ है जो कि मेरे दादाजी शंकरदास जी के स्वर्गवास के पश्चात जरिये विरासत का इन्तकाल मेरे पिता बालचन्द के नाम पर खोले गए इन्तकाल मे मेरे पिता का नाम बालचन्द के स्थान पर बालकिशन अंकित कर दिया गया जबकि मेरे पिता का असल नाम बालचन्द है तथा मेरे पिता के द्वारा बनाये गये परिवार कार्ड व आधार कार्ड तथा मेरे पिता बालचन्द द्वारा बाद में खरीदी गई अन्य कृषि भूमि मे भी मेरे पिता का नाम बालचन्द पुत्र शंकरदास अंकित किया हुआ है जो कि उक्त कथनों की ताईद करता है। मेरे पिता को गांव में बालचन्द नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बडोदिया प0ह0 बडोदिया का वर्तमान खाता संख्या 303 एवं खाता संख्या 15 में खातेदार प्रार्थी के पिता का नाम बालकिशन पुत्र शंकरदास हिस्सा 1/7 जाति बैरागी सा. देह खातेदार के स्थान पर बालचंद पुत्र शंकरदास हिस्सा 1/7 जाति बैरागी सा. देह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के ग्राम बडोदिया प0ह0 बडौदिया के खाता संख्या 303 आराजी संख्या 90 रकबा 1.11है0 व खाता संख्या 15 आराजी संख्या 326 व आराजी संख्या 602 कुल ... प्रार्थी के पिता बालकिशन पिता शंकरदास सयुंक्त खातेदारी के साथ दर्ज रिकार्ड ... के पिता के नाम हिस्सा 1/7 दर्ज रिकार्ड है। नामान्तकरण संख्या ... प्रार्थी के पिता का नाम बालकिशन पिता शंकरदास दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ... वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम बालचन्द पिता शंकरदास दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी के पिता की मृत्यु 20.08.2022 को हो चुकी ... मृत्यु प्रमाण पत्र में भी बालचन्द पिता शंकरदास नाम दर्ज है। वर्तमान में रिकार्ड प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज है एवं अभी तक नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। ........................................

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.23 13:45:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौडगढ़)

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 बोराव रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के पिता का नाम बालकिशन पुत्र शंकरदास के स्थान पर बालचन्द पुत्र शंकरदास किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

## –:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडोदिया प0ह0 बडौदिया के खाता संख्या 303 आराजी संख्या 90 रकबा 1.11है0 व खाता संख्या 15 आराजी संख्या 326 व आराजी संख्या 602 कुल रकबा 0.97है0 प्रार्थी के पिता नाम बालकिशन पुत्र शंकरदास के स्थान पर बालचन्द पुत्र शंकरदास किये जाने की इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.7.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.23 13:45:46 IST
Reason: SelfAttested